



-प्रेस नोट-

दिनांक: 17.01.2026

थाना बेहट पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में 01 शातिर गौकश/अभियुक्त घायलवस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिंदा/01 खोखा कारतूस .315 बोर, गोकशी के उपकरण व 01 चोरी की मोटर साइकिल बिना नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में हत्या, गोकशी, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 17.01.2026 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा सीएचसी बेहट के पास संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग की जा रही थी, तभी मोटर साइकिल पर सवार 01 संदिग्ध व्यक्ति ग्राम मुर्तजापुर की तरफ से आता दिखाई दिया। संदिग्ध व्यक्ति पुलिस टीम को चैकिंग करते देख अपनी मोटरसाइकिल को नहर पटरी कच्चे रास्ते कलसिया की तरफ मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति का पीछा किया गया। पुलिस टीम को अपना पीछा करते देख संदिग्ध व्यक्ति द्वारा अपनी मोटरसाइकिल को जंगल की घुमायी तो मोटरसाइकिल फिसलकर गिर गई। संदिग्ध व्यक्ति ने अपने आपको घिरते देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान निन्ना उर्फ नईम पुत्र नसीम निवासी ग्राम रायपुर कला थाना बेहट जनपद सहारनपुर के रूप में हुई। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल गौकश के कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस .315 बोर, गोकशी के उपकरण व 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर बरामद हुई। अभियुक्त द्वारा यह मोटरसाइकिल करीब 01 माह पूर्व कस्बा बेहट एसबीआई बैंक से चोरी की गयी थी। मोटरसाइकिल चोरी के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0- 628/25 धारा- 303(2) बीएनएस पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद के विभिन्न थानों पर गौकशी के लगभग आधा दर्जन मुकदमें पंजीकृत हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना बेहट पर मु0अ0सं0 36/25 धारा- 109(1)/303(2)/317(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

निन्ना उर्फ नईम पुत्र नसीम निवासी ग्राम रायपुर कला थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण -

- 01 तमंचा .315 बोर
- 02 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 खोखा कारतूस.315 बोर
- 01 बिना नम्बर प्लेट मोटर साइकिल कस्बा बेहट से चोरी की हुई

➤ गोकशी के उपकरण

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0- 30/26 धारा- 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
2. मु0अ0सं0- 628/25 धारा- 303(2)/317(2) बीएनएस थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
3. मु0अ0सं0- 465/19 धारा- 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
4. मु0अ0सं0- 545/21 धारा- 398/401 भादवि थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
5. मु0अ0सं0- 547/21 धारा- 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
6. मु0अ0सं0- 64/22 धारा- 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
7. मु0अ0सं0- 263/22 धारा- 3/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
- 2- उ0नि श्री महेश चन्द थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
- 3- उ0नि0 श्री अरविन्द तोमर थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
- 4- है0का0 209 ललित शर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
- 5- का0 1802 बिट्टू कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।
- 6- का0 94 सन्दीप यादव थाना बेहट जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 17.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 02 शातिर शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से 38 पाउच अवैध देशी शराब बरामद

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शराब की खरीद फरौख्त करने व तस्करी की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्वक्षेत्र में तथा थानाध्यक्ष सरसावा श्री प्रवेश कुमार के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 16.01.2026 को अभियुक्तगण **1-समीर पुत्र गफ्फार निवासी मौहल्ला हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर 2-नजाकत पुत्र स्व0 लियाकत निवासी मौहल्ला हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर** को माजरी जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 38 पाउच अवैध देशी शराब महबूबा शीरे से उ0प्र0 में निर्मित देशी मदिरा बरामद हुयी। बरामदगी के आधार पर थाना सरसावा पर मु0अ0सं0 011/2026 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. समीर पुत्र गफ्फार निवासी मौहल्ला हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर।
2. नजाकत पुत्र स्व0 लियाकत निवासी मौहल्ला हरिजनान कस्बा व थाना सरसावा सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 38 पाउच अवैध देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. उ0नि0 श्री देवकरण शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
2. हे0का0 384 अनित कुमार थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।
3. हे0का0 1194 लखन सिंह थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 17.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के 05 रिफाइंड के टीन बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 15.01.2026 को वादी श्री दिवाँशु जैन पुत्र राजीव जैन निवासी ग्राम प्रताप गंज बेहट रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत वादी के गौदाम से अज्ञात चोरों द्वारा रिफाइंड के 05 टीन चोरी कर लिये जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 25/2026 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 17.01.2026 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आये 03 अभियुक्तगण **1. मुकुल कुमार उर्फ काला पुत्र स्व0 सुभाष उर्फ कक्कू निवासी गोपालपुर रविदास मन्दिर की बराबर वाली गली बेहट रोड थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर 2. सुन्दर पुत्र शीशपाल उर्फ मोटा निवासी मौ0 रविदास मन्दिर वाली गली नाजिरपुरा बेहट रोड थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर 3. अजय पुत्र पप्पू हलवाई निवासी चकदेवली रविदास मन्दिर के पास वाली गली थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर** को ग्राम नाजिरपुरा से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से चोरी गये 5 रिफाइंड के टीन बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के नाम व पता:-

1. मुकुल कुमार उर्फ काला पुत्र स्व0 सुभाष उर्फ कक्कू निवासी गोपालपुर रविदास मन्दिर की बराबर वाली गली बेहट रोड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. सुन्दर पुत्र शीशपाल उर्फ मोटा निवासी मौ0 रविदास मन्दिर वाली गली नाजिरपुरा बेहट रोड थाना कोतवाली देहात जिला सहारनपुर।
3. अजय पुत्र पप्पू हलवाई निवासी चकदेवली रविदास मन्दिर के पास वाली गली थाना कोतवाली देहात सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

➤ 05 रिफाइंड के टीन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सुदेश पाल थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1150 विकास पुनिया थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 870 रोबिन ढाका थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
5. है0का0 1150 विकास पुनिया थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 17.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना गागलहेडी पुलिस द्वारा आत्महत्या करने के लिए उकसाने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 15.01.2026 को वादी श्री जसवीर पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम मोहददीनपुर थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर की एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण 1.(पति) नीटू पुत्र अतर सिंह 2. (ससुर) अतर सिंह 3. (जेठ) अरविन्द 4.(जेठानी) कविता पत्नी अरविन्द निवासीगण ग्राम बलियाखेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर के द्वारा वादी की बहन को आये दिन प्रताड़ित करना जिसके कारण वादी की बहन मनिता द्वारा मानसिक रूप से परेशान होकर दिनांक 15.01.2026 को स्वयं व अपने दोनो बच्चों के साथ जहरीले पदार्थ का सेवन कर लेना जिससे उपचार के दौरान वादी की बहन मनिता, भांजी व भांजे का उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना गागलहेडी पर मु0अ0सं0 21/26 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 17.01.2026 को मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त नीटू पुत्र अतर सिंह निवासी बलियाखेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को भगवानपुर तिराहा कस्बा गागलहेडी से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

नीटू पुत्र अतर सिंह निवासी बलियाखेडी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री पीयूष दीक्षित थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री राशिद खां थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री राजकुमार तोमर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 17.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना मण्डी पुलिस द्वारा प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे 29 गिट्टी प्रतिबन्धित मांझा (कुल वजन 14.2 किलोग्राम) बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में अपराध नियंत्रण व प्रतिबंधित चाईनीज मांझा आदि की रोकथाम हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 16.01.2026 को प्रतिबन्धित चाईनीज मांझे का विक्रय करने वाले अभियुक्त **तन्जीम पुत्र फजलू रहमान निवासी नदीम कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को पशु पैठ पानी की टंकी के पास कमेला कालोनी के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 29 गिट्टी प्रतिबंधित मांझे (कुल वजन 14.2 कि० ग्राम) बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली मण्डी पर **मु०अ०सं० 25/2026 धारा 223(बी)/125 बीएनएस व धारा 5/15 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम** पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

तन्जीम पुत्र फजलू रहमान निवासी नदीम कालोनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

29 गिट्टी प्रतिबन्धित मांझा (कुल वजन 14.2 किलोग्राम)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ०नि० श्री सुरेशवीर सिंह थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
2. हे०का० 02 कमल कौशिक थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
3. हे०का० 100 राहुल त्यागी थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
4. हे०का० 521 सुनील राणा थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।
5. हे०का० 633 फुरकान थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 17.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शस्त्र रखने वाले व इसके कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस द्वारा आज दिनांक 17.01.2026 को गस्त व चौकियों के दौरान 01 अभियुक्त **संदीप उर्फ समीर उर्फ मल्ली पुत्र बुद्ध सिंह निवासी मौ० भीष्म नगर थाना कोतवाली मंडी जनपद सहारनपुर** को जुलमगढ़ की पुलिस के पास सड़क किनारे खाली प्लॉट से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु०अ०सं० 026/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

संदीप उर्फ समीर उर्फ मल्ली पुत्र बुद्ध सिंह निवासी मौ० भीष्म नगर थाना कोतवाली मंडी जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० श्री निर्मल कुमार थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
2. है०का 0345 फारुखअली थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
3. का० 1065 अनुजपाल थाना मण्डी जिला सहारनपुर।



दिनांक: 17.01.2026

-प्रेस नोट-

थाना मण्डी पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद

अवगत कराना है कि पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अवैध शस्त्र रखने वाले व इसके कारोबार में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में थाना मण्डी पुलिस द्वारा आज दिनांक 17.01.2026 को गस्त व चौकियों के दौरान 01 अभियुक्त **तैय्यब पुत्र इकराम निवासी सुहेला कॉलोनी, खाता खेड़ी थाना मंडी सहारनपुर** को हाजीशाह कब्रिस्तान के गेट से 20 कदम जुल्मगढ की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 नाजायज चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मण्डी पर मु0अ0सं0 027/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

तैय्यब पुत्र इकराम निवासी सुहेला कॉलोनी, खाता खेड़ी थाना मंडी सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण-

➤ 01 नाजायज चाकू

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 48/2016 धारा 380,411 भादवि थाना मण्डी सहारनपुर।
2. मु0अ0सं0 027/2026 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डी जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री राहुल शर्मा थाना मण्डी जिला सहारनपुर।
2. का0 1074 गौरव त्यागी थाना मण्डी जिला सहारनपुर।